उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 43/2016/1497/30-3-16-04बी/2012टीसी
लखनऊ, दिनॉक 07 जून, 2016

संशोधन/शुद्धि-पत्र

सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस योजना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में द्वितीय त्रैमास (अप्रैल से जून, 2016) हेतु रू0 3,26,00,000.00 (रू0 तीन करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-37/2016-/1206/30-3-16-04बी/2012टीसी, दिनॉक 27 मई, 2016 के प्रथम प्रस्तर में त्रुटिवश अंकित शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015 की **दिनॉक 07-04-2015 के स्थान पर शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015, दिनॉक 07-04-2016** पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश के शेष अन्य अंश एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर पक्ष में निर्गत शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015 दिनॉक 07-04-2016 में 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय क्रय की मद में हुई टंकण त्रुटि को शासनादेश संख्या-42/2016/1407/30-3-16-18बी/2015, दिनॉक 06 जून, 2016 द्वारा धनराशि रू0 25000 की जगह रू0 250000 अंकित करते हुए संशोधित कर दिया गया है।

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 43/2016/1497(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- वित्त, (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।